आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला..... सं0..... सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 530 / 2012

जनेश्वर महतो एवं अन्य –– अपीलार्थीगण

वनाम

शिव पासवान एवं अन्य –– रेस्पोण्डेन्ट्स / विपक्षीगण

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 12.11.12 ई० अंदर भूमि विवाद निराकरण वाद संख्याः 359 / 11 में पारित आदेश के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी / वादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि अपीलार्थी मौजाः गंगौरा, थानाः 156, अंचलः सत्तर कटैया, थाना : बिहरा जिलाः सहरसा के खाता पुराना 44 खेसरा पुराना 2165 रकबा 17 धुर 10 धुरकी चौहद्दी : उत्तर : सड़क नीज वादी, दक्षिण खेसरा नं: 2124, पूरबः शिवू पासवान पश्चिमः नीज वादी से संबंधित इस वाद में मूल रूप से विवादी भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी द्वारा खाता सख्याः 2165 की भूमि का मौखिक बदलैन ग्रामः गंगौरा, बिहरा के प्रियव्रत नारायण ठाकुर से किया गया एवं उक्त प्रियव्रत ठाकुर अपनी एकमात्र पुत्री रामकुमारी देवी को पीछे छोड़कर स्वर्गवासी हो गए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि उक्त रामकुमारी देवी पतिः विरेन्द्र नरायण ठाकुर, पुत्रीः प्रियव्रत ठाकुर द्वारा दिनांकः 16.04.2011 को कुल रकवाः 04 कट्ठा 09 धूर 10 धूरकी भूमि के हेतु अपीलार्थी / वादी के पक्ष में एक बिक्री दस्तावेज क्रियान्वित किया गया एवं श्रीमति रामकुमारी देवी द्वारा रकवाः 04 कट्ठा 09 धूर 10धूरकी भूमि के निश्वत अपीलार्थी / वादी के पक्ष में एक और बिक्री दस्तावेज दिनांकः 16.04. 2001 क्रियान्वित किया गया। इसी प्रकार श्री मारकण्डेय ठाकुर, श्री सूर्य नारायण ठाकुर उर्फ विरेन्द्र ठाकुर पिताः स्व० बुलक ठाकुर एवं श्रीमति रामकुमारी देवी पत्नीःविरेन्द्र नारायण ठाकुर द्वारा अपीलार्थी / वादी के पक्ष में कुल रकवाः 01 कट्ठा 11 धूर भूमि के निश्वत निबंधित बिक्री दस्तावेज दिनांकः 16.07.2007 को क्रियान्वित किया गया इस प्रकार अपीलार्थी / वादी द्वारा कुल 10 कट्ठा 10 धूर भूमि का क्रया किया गया वो अपीलार्थी / वादी अपनी संपूर्ण

खरीदगी भूमि पर शांतिपूर्वक ढंग से दखलकार चले आते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि बदलेन निबंधित नहीं था बल्कि मौखित था इसलिए खतियानी रैयत कमल नारायण ठाकुर पिताः स्व० राम बहादुर ठाकुर के वास्तविक उत्तराधिकारीयों द्वारा भी उक्त बिक्री दस्तावेजों पर अत्यल्प गवाहों के रूप में हस्ताक्षर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा विवाद उत्पन्न किया जाने लगा जबकि उनके द्वारा मात्र 05 कट्ठा भूमि का ही क्रय किया गया है। ग्राम पंचायत में वाद संख्याः 03/08 की कार्रवाई आरंभ हुई एवं दिनांकः 22.12.2008 को कुल 10 कट्ठा 10 धूर 10 धूरकी भूमि हेतु अपीलार्थी/वादी के पक्ष में आदेश पारित हुआ वो उक्त आधार पर अंचल अमीन की मापी के उपरांत 10 कट्ठा 10 धूर 10 धूरकी भूमि का एक खण्ड काटा गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादियों द्वारा अपील आवेदन में वर्णित 171.5 धूर भूमि पर अवैधानिक रूप से विवाद उत्पन्न किया जाने लगा।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट्स/प्रतिवादियों द्वारा ग्राम कचहरी द्वारा आदेश पारित होने के उपरांत प्रश्नगत भूमि पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने के कारण प्रस्तुत वाद दायर किया गया वो नोटिश निर्गत होने के उपरांत रेस्पोण्डेन्ट्स/प्रतिवादियों द्वारा निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि 10 धूर भूमि सड़क में चली गई है एवं मेरे द्वारा 05 कट्ठा भूमि का क्रय किया गया है एवं लिखित जवाब में यह भी कथन किया गया कि 03 कट्ठा 15 धूर भूमि गुणानंद राय को बिक्री किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि उक्त कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि रेस्पोण्डेन्ट्स/प्रतिवादियों के खरीदगी के उपरांत खेसरा संख्याः 2165 में रकवाः 10 कट्ठा 12 धूर भूमि अवशेष रह जाति हैं वो गुणानंद राय एवं अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा कुल 10 कट्ठा 10 धूर 10 धूरकी भूमि का क्रय किया गया है अतएव खरीदगी कुल रकवा के अंतर्गत ही है।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते है कि आवेदक ने भूमि विवाद निराकरण अधिनियम में तहत अपने नाजायज केवाला मार्कण्डेय ठाकुर वहक गीता देवी पति जानेश्वर महाते दिनांकः 16.07.07 के कुल रकवा 01 कट्ठा 11 धूर पर दखल दिलाने एवं उक्त केवाला क आधार पर विवादी जमीन पर हकियत घोषित करने की याचना की है जिसका समाधान सिर्फ सक्षम व्यवहार न्यायालय में ही संभव है वो इस आधार पर भी आवेदक का प्रस्तुत अपील वाद खारिज करने योग्य है।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि प्रस्तुत वाद अंदर मौजाः गंगौरा (बिहरा) खाता पुरानाः 44, खेसरा पुरानाः 2165, रकवाः 10 कट्ठा 10 धूर 10 धूरकी के निश्वत हकियत घोषित करने एवं उक्त रकवा में से दखल पूर्वी भाग से 01 कट्ठा पर दिलाने हेतु आवेदक द्वारा दायर किया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अंदर मौजाः गंगौरा (बिहरा) थानाः बिहरा, अंचलः सत्तर कटैया जिलाः सहरसा, खाता पुरानाः 44, खेसरा पुरानाः 2165 का कुल रकवा मुताबिक खतियान 17 कट्ठा 16 धूर वो मुताबिक नक्शा 19 कट्ठा 03 धूर होता है जिसमें से 10 धूर जमीन आज से 50 वर्ष से अधिक समय से सड़क बनी हुई है। इस तरह कुल रकवा में से 10 धूर भूमि सड़क में पूर्व में ही चली गई है।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि आवेदक के केवाला दिनांक 16.04.01 के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि इसके पूरब चौहद्दी में सतो पासवान विपक्षी के पिता का नाम दर्ज है जिससे साबित होगा कि सतो पासवान के सटे पूरब वाली जमीन का केवाला 2001 ई0 में ही हो चुका है। पुनः आवेदक द्वारा तीसरा केवाला दिनांक 16.07.2006 में दर्ज चौहद्दी से पूरब खरीददार दर्ज है। जिससे साबित होगा कि आवेदक द्वारा पूर्व में खरीदी गई 9 कट्ठा जमीन के बाद जो जमीन इस खेसरा में बचता है जिसके निश्वत यह जमीन बिक्री होता है परन्तु खेसरा 2165 में पूर्व से 10 धूर जमीन सड़क में जाने से उसके बाद चोरों केवाला से बिक्री होने के बाद सिर्फ 18 धूर जमीन बचती है। अतः आवेदक द्वारा तीसरा केवाला से उनके सिर्फ 18 धूर भूमि ही हासिल हो सकती है। इस प्रकार 1 क0 11 धूर जमीन का केवाला नाजायज वो गैरकानूनी है बतलाते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

10/1/2014
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

10/1/2014
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा